<u>खान आयुक्त का न्यायालय, बिहार</u>

अपील वाद संख्या–15/2025

<u>जिला–नालन्दा</u>

मेसर्स कविता कन्स्ट्रक्शन	...	**वादकर्ता**
	बनाम	
समाहर्त्ता, नालन्दा एवं अन्य	...	**प्रतिपक्ष**

<u>आदेश</u>

<u>21.10.2025</u> A. 1. वर्तमान अपील मेसर्स कविता कंस्ट्रक्शन द्वारा समाहर्त्ता, नालन्दा के आदेश ज्ञापांक–825, दिनांक–17.07.2025 के विरूद्ध लाया गया है।

2. अपील की पृष्ठभूमि निम्न प्रकार है :–

(i) नालन्दा जिलान्तर्गत सकरी 5 बालूघाट के बंदोबस्ती के लिए दिनांक–11.01.2023 को सम्पन्न ई–नीलामी में मेसर्स कविता कंस्ट्रक्शन ₹37,80,000/– की बोली लगाकर सफल डाकवक्ता घोषित हुए।

(ii) मेसर्स कविता कंस्ट्रक्शन द्वारा सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात दिनांक–07.06.2024 से वर्ष 05 वर्ष के लिए पट्टा निष्पादन कराया गया।

(iii) बंदोबस्तधारी को द्वितीय बंदोबस्ती वर्ष के प्रथम किस्त का भुगतान दिनांक–06.04.2025 के पूर्व करना था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

(iv) समाहर्त्ता, नालन्दा द्वारा पत्रांक–497/एम0, दिनांक–07.05.2025 से पट्टेधारी को सभी बकाया राशि के भुगतान के लिए वैधानिक नोटिस दिया गया।

(v) पट्टेधारी द्वारा न तो बकाया का भुगतान किया गया और न ही नोटिस के संबंध में कोई जबाव ही समर्पित किया गया।

(vi) समाहर्त्ता, नालन्दा के आदेश ज्ञापांक–825, दिनांक–17.07.2025 से शेष अवधि के लिए बंदोबस्ती रद्द करते हुए जमा प्रतिभूति राशि जप्त कर ली गई एवं बकाया वसूली हेतु बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग अधिनियम, 1914 के तहत नीलामपत्र दायर करने का निदेश सहायक निदेशक, नालन्दा को दिया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर है।

B. अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में एवं विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर सभी बकाया राशि का ब्याज सहित भुगतान कर बालूघाट संचालन की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

C. अपीलार्थी द्वारा निष्पादित एकरारनामा के भाग–VII की कंडिका–37 के अनुसार भुगतान के चूक की स्थिति में समाहर्त्ता द्वारा 30 दिनों नोटिस दिए जाने एवं उस अवधि में भुगतान नहीं करने पर प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए बंदोबस्ती रद्द करने का प्रावधान है। समाहर्त्ता द्वारा सभी प्रक्रिया का पालन करते हुए दिनांक–17.07.2025 का आदेश पारित किया गया है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा सभी बकाया का सूद समेत भुगतान करने एवं संचालन की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। समाहर्त्ता, नालन्दा के पत्रांक–1341, दिनांक–13.09.2025 से प्राप्त प्रतिवेदन में सूद सहित द्वितीय वर्ष का प्रथम किस्त तथा अन्य देय राशि का भुगतान करने एवं रद्द अवधि की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करने की शर्त्त पर बंदोबस्ती दिनांक–07.06.2025 के प्रभाव से पुनर्बहाल करने की अनुशंसा की गई है। अतः समाहर्त्ता, नालन्दा की अनुशंसा एवं राजस्वहित में नालन्दा जिलान्तर्गत सकरी 5 बालूघाट के लिए मेसर्स कविता कन्स्ट्रक्शन के पक्ष में पाँच वर्षों के लिए की गई बंदोबस्ती को निम्न शर्त्तों पर शेष अवधि के लिए पुनर्बहाल करने का निदेश दिया जाता है :–

(i) अपीलार्थी द्वारा सूद समेत द्वितीय वर्ष के प्रथम किस्त तथा अन्य बकाया राशि भुगतान किया जाएगा।

(ii) अपीलार्थी द्वारा रद्द अवधि की क्षतिपूर्ति या अवधि विस्तार का कोई दावा नहीं किया जाएगा।

(iii) अपीलार्थी द्वारा बालूघाट संचालन के दौरान निविदा दस्तावेज/ सैद्धांतिक स्वीकृत्यादेश/एकरारनामा/ खनन नियमावली/अधिनियम के साथ–साथ लागू अन्य सभी प्रावधानों एवं शर्त्तों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।

(iv) अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त आशय का शपथ पत्र समाहर्त्ता, नालन्दा को दिया जाएगा।

(v) बंदोबस्ती की अन्य शर्त्तें पूर्ववत रहेंगी।

उपरोक्त शर्त्तों के अनुपालन एवं दिनांक–10.11.2025 तक ब्याज सहित बकाया राशि का भुगतान कर दिए जाने की स्थिति में अपीलार्थी को शेष अवधि के लिए बालूघाट संचालन की अनुमति दी जाएगी अन्यथा समाहर्त्ता, नालन्दा का आदेश दिनांक–17.07.2025 संपुष्ट माना जाएगा।

आदेश की प्रति सभी संबंधित का भेज दी जाए।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
खान आयुक्त, बिहार

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
खान आयुक्त, बिहार

ज्ञापांक :– 5883 /एम0, दिनांकः– 22/10/25

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, नालन्दा/ सहायक निदेशक, जिला खनन कार्यालय, नालन्दा/ मेसर्स कविता कन्स्ट्रक्शन, प्रो0–श्री धर्मवीर यादव, पिता–विशुनधारी गोप, ग्राम–मालपुर, पो0–प्रहलादपुर, थाना–घोसवरी, जिला–पटना, ईमेल–snsingh.lit@gmail.com/ dharmveeryadav8340@gmail.com /आई0 टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.10.2025

विशेष कार्य पदाधिकारी